बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

दिनांक 12.3.19

संख्या–7 / स्था0–4–04 / 2016सा0प्र0 3433 / व्यवहार न्यायालयों में पुराने लंबित महिला, बालक, विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिक, समाज के उपेक्षित वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1037 दिनांक 27.01.2017 के द्वारा सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों को छः माह के लिए पुनर्नियोजित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या–11281 दिनांक 01.09.2017 द्वारा उनकी सेवा को डेढ़ माह के लिए विस्तारित किया गया। विभागीय अधिसूचना संख्या–12743 दिनांक 05.10.2017 द्वारा उनकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष पूरा होने तक उनकी सेवा को विस्तारित किया गया। तदुपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या–3828 दिनांक 20.03.2018 द्वारा तदर्थ रूप में पुनर्नियोजित कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन पदाधिकारियों की सेवा छः माह की अवधि के लिए विस्तारित किया गया।

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–13489 दिनांक 07.02.2019 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में पूर्व के महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–58482 दिनांक 07.08.2018 से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर विभागीय अधिसूचना संख्या–12233 दिनांक 12.09.2018 से 43 (तैतालीस) पीठासीन पदाधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में तदर्थ रूप से छः माह की अवधि विस्तारित न्यायिक पदाधिकारी में से श्री राम पुकार यादव (सूची क्रमांक–9), पीठासीन पदाधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट–II, मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण) एवं श्री विजय कुमार सिन्हा (सूची क्रमांक–33), पीठासीन पदाधिकरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पूर्णियाँ को छोड़कर शेष 41 (इकतालीस) व्यवहार न्यायालयों में पुराने लंबित महिला, बालक, विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिक, समाज के उपेक्षित वर्गों एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन संबंधित मुकदमों के त्वरित निष्पादन हेतु गठित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पदों पर छः माह के लिए तदर्थ रूप में पुनर्नियोजित कर अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12.3.19
(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–4–04 / 2016सा0प्र0 3433 पटना–15, दिनांक 12.3.19

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 तथा ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ (दो प्रतियों में) प्रेषित।

12.3.19
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7 / स्था0–4–04 / 2016सा0प्र0 3433 पटना–15, दिनांक 12.3.19

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–13489 दिनांक 07.02.2019 सह संलग्न सूची के साथ / महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना / निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, गुलजारबाग, पटना / सभी संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

12.3.19
सरकार के अवर सचिव।